

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह --बनाम--

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :-128/2023

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
--------------	------------------------------------	---

06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प रास में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-रास 1 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 907, 844, 894 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र हीरा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम छोटू पुत्र हीरा के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान रास में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा-रास 1 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 907, 844, 894 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र हीरा दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम छोटू पुत्र हीरा के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक रास व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा-रास 1 में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 907, 844, 894 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि छोटू पुत्र हीरा को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " छोटूसिंह पुत्र हीरासिंह " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। प्रार्थी को फौजदारी शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद में तहसीलदार जैतारण को पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(प्रधान सुन्दर धिपनोई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)